R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 3 ♦ सितंबर 2017

बैंकिंग विनियमन

बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं पर मास्टर दिशानिर्देशों में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर, 2017 को बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं पर मास्टर दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किए :

i) **कोई बैंक**

- आवास वित्त कंपनी के अलावा जमा लेने वाली एक एनबीएफसी की इक्विटी में 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रखेगा;
- शेयरों, परिवर्तनीय बांड / डिबेंचर, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों और वैकल्पिक निवेश कोषों के ऋण में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अपनी निवल संपत्ति के 20 प्रतिशत की कुल अनुमानित सीमा के अधीन रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट/बुनियादी सुविधा निवेश ट्रस्ट की यूनिट पूंजी में 10 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगा,
- गैर-वित्तीय सेवाओं में शामिल सहायक कंपनी नहीं होते हुए किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत, या बैंक की चुकता पूंजी और भंडार के 10 प्रतिशत, जो भी कम है, से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगा बशर्ते चुनिंदा परिस्थितियों में ऐसी निवेशक कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 30 प्रतिशत से अनधिक निवेश स्वीकार्य होना चाहिए;
- सीधे या परोक्ष रूप से बैंक द्वारा नियंत्रित अपनी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम या संस्थाओं के साथ; और बैंक द्वारा नियंत्रित आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी) द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड, गैर-वित्तीय सेवाओं में शामिल निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगा। हालांकि, यह सीमा कुछ मामलों पर लागू नहीं होगी जिनका संकेत दिया गया है;
- श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में कोई भी निवेश नहीं करेगा। किसी श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में बैंक की सहायक कंपनी द्वारा निवेश सेबी द्वारा निर्धारित नियामक न्यूनतम सीमा तक ही सीमित होना चाहिए।

ii) मास्टर दिशानिर्देश में किए गए कुछ मामूली संशोधनों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर अपने संशोधित मास्टर दिशानिर्देश में, वाणिज्यिक बैंकों को आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) ढांचे के भीतर वैकल्पिक निवेश फंडों में सीधे रूप से या उनकी सहायक कंपनियों के माध्यम से, इक्विटी निवेश के कारण उत्पन्न जोखिमों का पता लगाने की और आवश्यक अतिरिक्त पूंजी का निर्धारण करने की सलाह दी है जो पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में पर्यवेक्षी परीक्षा के अधीन हो। यह बैंकों द्वारा प्रायोजित बुनियादी सुविधा ऋण निधि के लिए भी लागू होना चाहिए।

iii) रिज़र्व बैंक ने आगे यह सलाह दी कि सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के किसी भी बैंक को केवल कुछ शर्तों के अधीन पेशेवर क्लीयरिंग सदस्य तब ही बनाया जाना चाहिए, जब वे निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करें।

iv) कमोडिटी डेरिवेटिव्स सर्जन के लिए 'ब्रोकिंग सर्विसेज' पर, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि - सेबी के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए कुछ शर्तों के अधीन इस उद्देश्य से बनीं स्वतंत्र सहायक कंपनी अथवा मौजूदा सहायक कंपनी के अलावा किसी भी बैंक को ब्रोकिंग सेवाएं नहीं देनी चाहिए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11129&Mode=0

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली वित्तीय सेवाओं पर मास्टर दिशानिर्देशों में संशोधन	1
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश	2
• विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट	2
• विदेशों में रुपया मूल्यवर्गित बांड जारी करना	2
• इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन प्रमाणपत्र जारी करना	2
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा औसत आधार दर प्रभार लिया जाएगा	3
वित्तीय बाजार विनियमन	
• ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पत्तियों के लिए व्यापार भंडार	3
सरकारी और बैंक लेखा	
• व्यापारी छूट दर शुल्क की प्रतिपूर्ति	3
वित्तीय समावेशन और विकास	
• गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार	3
प्रकाशन	
• मिन्ट स्ट्रीट मेमोज़	4
• भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2016-17	4

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

अक्टूबर–दिसंबर 2017 के लिए सीमाओं में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2017 को अक्टूबर–दिसंबर 2017 तिमाही के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश की सीमाएं बढ़ाकर केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में 80 बिलियन और राज्य विकास ऋण में 62 बिलियन भारतीय रुपये (आईएनआर) कर दी। संशोधित ढांचे के अनुसार आवंटित संशोधित सीमाएं निम्ननुसार हैं ।

सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाएं

₹ बिलियन

समाप्त तिमाही	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां			राज्य विकास ऋण			कुल
	सामान्य	दीर्घ अवधि	कुल	सामान्य	दीर्घ अवधि	कुल	
वर्तमान सीमाएं	1877	543	2420	285	46	331	2751
दिसंबर 31, 2017	1897	603	2500	300	93	393	2893

संशोधित सीमाएं 3 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होंगी।

आवंटन और सीमाओं की निगरानी संबंधी परिचालनात्मक दिशा–निर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए जाएंगे।

(Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?id=11132&Mode=0)

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश की समीक्षा की गई

समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) दिशानिर्देशों के साथ मसाला बांड जारी करने संबंधी मानदंडों में अनुरूपता लाने के लिए 22 सितंबर, 2017 को निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:

3 अक्टूबर, 2017 से मसाला बांड कॉरपोरेट बांडों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश की सीमा का एक हिस्सा नहीं होंगे। वे ईसीबी का हिस्सा बनेंगे और उनकी तदनुसार निगरानी की जाएगी। मसाला बांड जारी करने संबंधी इच्छुक पात्र भारतीय संस्थाएं विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में संपर्क कर सकते हैं।

कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश के लिए सीमा

	राशि (₹ करोड़)
1. कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए वर्तमान एफपीआई सीमाएं (मसाला बॉन्ड सहित)	2,44,323
(ए) जिनमें से मसाला बॉन्ड (पाइपलाइन सहित)	44,001
2. ईसीबी (1– (ए))में मसाला बॉन्ड को अंतरित करने के बाद एफपीआई सीमा	2,00,322
3. क्यू 3 एफवाई 18 के लिए अतिरिक्त सीमा	27,000
4. 03 अक्टूबर 2017 (2+3) से कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एफपीआई सीमा	2,27,322
जिनमें से बुनियादी संरचना में दीर्घकालिक एफपीआई द्वारा निवेश के लिए आरक्षित	9,500
5. क्यू 4 एफवाई 18 के लिए अतिरिक्त सीमा	17,001
6. 1 जनवरी 2018 (4+5) से कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एफपीआई सीमा	2,44,323
जिनमें से बुनियादी संरचना में दीर्घकालिक एफपीआई द्वारा निवेश के लिए आरक्षित	9,500

मसाला बांडों के अंतरण से उत्पन्न ₹ 44,001 करोड़ की राशि अगली दो तिमाहियों में कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश के लिए जारी की जाएगी।

प्रत्येक तिमाही में ₹ 9,500 करोड़ की राशि दीर्घकालिक एफपीआई (अर्थात्, सावरेन वेल्थ निधि, बहुपक्षीय एजेंसियां, एन्डॉवमेंट फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन फंड्स और विदेशी केंद्रीय बैंक) द्वारा केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध होगी । 'बुनियादी ढांचा क्षेत्र (इन्फ्रास्ट्रक्चर)' की परिभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी मास्टर दिशानिर्देश के तहत परिभाषित के समान होगी। इसके अलावा दीर्घकालिक एफपीआई बुनियादी ढांचा क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए पात्र रहेंगे।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में, कॉर्पोरेट बांडों में एफपीआई द्वारा निवेश की सीमा बांड ₹ 244,323 करोड़ है । इसमें ₹ 44,001 करोड़ (पाइपलाइन सहित) निवासी संस्थाओं द्वारा विदेशों में जारी रुपया मूल्यवर्गित बांड (मसाला बांड) भी शामिल है। वर्तमान में मसाला बांड एफपीआई के लिए संयुक्त कॉर्पोरेट ऋण सीमा (सीसीडीएल) और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) दोनों के तहत गिने जाते है।

(Https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?id=11127&Mode=0)

विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर 28 वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट अक्तूबर–मार्च 2016–17

भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 सितंबर 2017 को मार्च 2017 की समाप्ति के संदर्भ में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर 28वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट जारी की।

15 सितंबर 2017 को विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति निम्नानुसार है:

	यूएस $ बिलियन
विदेशी मुद्रा भंडार (i+ii+iii+iv)	402.5
i. विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	378.0
ii. स्वर्ण	20.7
iii. विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.5
iv. आरक्षित ट्रेंच की स्थिति (आरटीपी)	2.3

यह उल्लेखनीय है कि फरवरी 2004 में, रिज़र्व बैंक ने अर्धवार्षिक रिपोर्ट संकलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाने और प्रकटीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

विदेशों में रुपया मूल्यवर्गित बांड जारी करना

रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2017 को भारत सरकार के साथ परामर्श से 3 अक्तूबर 2017 से कॉरपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश की सीमा से रुपया मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) को जारी करना अलग कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, डिपॉजिटरीज के लिए आरडीबी लेनदेन की अतिरिक्त ईमेल रिपोर्टिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि, मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्ट जारी रहेगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11128&Mode=0)

इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन प्रमाणपत्र जारी करना

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2017 को प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी–1 बैंकों को निर्देश दिया कि वे निर्यात डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम

(ईडीपीएमएस) को जब और जैसे प्रमाणन आधार पर निर्यात आय डेटा के साथ अद्यतन करें और 16 अक्टूबर 2017 से ईडीपीएमएस में उपलब्ध आंकड़ों से केवल इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (ईबीआरसी) जनरेट करें, ताकि ईडीपीएमएस में डेटा की निरंतरता और समेकित ईबीआरसी सुनिश्चित की जा सकें।

पृष्ठभूमि

एडी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया था कि वे तत्काल अपने आईटी सिस्टम/ऑपरेटिंग प्रक्रिया में उचित बदलाव करें, ईडीपीएमएस में बाद के निर्यात लेनदेन की रिपोर्ट करें और ईडीपीएमएस में निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम प्रेषण (पुरानी बकाया आवक प्रेषणों सहित) के ब्यौरों को भी कैप्चर करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11119&Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा औसत आधार दर प्रभार लिया जाएगा

रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2017 को सूचित किया है कि 01 अक्टूबर 2017 से शुरू तिमाही से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं पर लागू औसत आधार दर प्रभार लिया जाएगा जो कि 9.06 प्रतिशत होगा।

यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र में क्रेडिट की कीमत के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को जारी किए गए पत्र में कहा था कि, यह प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर,एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधारकर्ताओं को अगली तिमाही में प्रभारित की जानेवाली ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरों के औसत को सूचित करेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41809)

वित्तीय बाजार विनियमन

ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पत्तियों के लिए व्यापार भंडार

रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2017 को, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच एफसीवाई-आईएनआर और एफसीवाई-एफसीवाई फॉरवर्ड ट्रेडों की रिपोर्टिंग की सीमा को 3 अक्टूबर 2017 से हटा दिया।

एक बार के उपाय के रूप में, व्यापार भंडार (टीआर) में बकाया शेष राशि को अपडेट करने के लिए, एडी श्रेणी-I बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे 6 अक्तूबर 2017 तक क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) को निम्नलिखित रिपोर्ट करें :

- एडी श्रेणी-I बैंकों और उसके ग्राहकों के बीच ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) मुद्रा विकल्प लेनदेन 2 अप्रैल 2013 से पहले के हो और 29 सितंबर 2017 तक बकाया हो।
- एडी श्रेणी-I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच ओटीसी मुद्रा विकल्प लेनदेन, 1 मिलियन अमरीकी डालर और अन्य मुद्राओं में उसके बराबर मूल्य के साथ, 2 अप्रैल 2013 से 3 जुलाई 2016 तक किए गए हो और 29 सितंबर 2017 तक बकाया।
- एडी श्रेणी-I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच मुद्रा वायदा लेनदेन,जिसका मूल्य 1 करोड़ डॉलर से कम हो और अन्य मुद्राओं के बराबर हो,और 29 सितंबर 2017 तक बकाया हो।

एडी श्रेणी-I बैंकों को भी यह सुनिश्चित करना सूचित किया गया कि वे उनकी बहियों और टीआर के बीच बकाया शेष का निरंतर आधार पर मिलान करते रहें।

पृष्ठभूमि

एक मिलियन अमरीकी डालर, और अन्य मुद्राओं में उसके बराबर का एक थ्रेशोल्ड एफसीवाई-आईएनआर और एफसीवाई-एफसीवाई फारवर्ड और एडी श्रेणी-I बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच व्यापार कारोबार के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद, सीसीआईएल ने 2 जून 2016 को रिजर्व बैंक के परामर्श से, अपने सदस्यों को एफसीवाई-आईएनआर और एफसीवाई-एफसीवाई विकल्प ट्रेडों की रिपोर्टिंग के लिए इस सीमा के हटने की सूचना दी जो 04 जुलाई 2016 से प्रभावी थी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11126&Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा

व्यापारी छूट दर शुल्क की प्रतिपूर्ति

रिज़र्व बैंक ने 7 सितंबर 2017 को स्पष्ट किया कि ग्राहकों द्वारा सरकार को / डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अदा की गई पूरी राशि संबंधित सरकारी मंत्रालय / विभाग को भेजी जानी चाहिए। डेबिट कार्ड उपयोग (1 लाख तक) पर व्यापारी छूट दर शुल्क (एमडीआर) की प्रतिपूर्ति का रिजर्व बैंक से अलग से दावा किया जा सकता है। सरकार की प्राप्तियों से एमडीआर प्रभारों की कटौती की अनुमति बिल्कुल नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी दोहराया कि आईबीआर ₹ एक लाख से अधिक के डेबिट कार्ड लेनदेन पर और किसी भी क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर एमडीआर शुल्क के लिए, भारत सरकार द्वारा कोई भी शुल्क अवशोषित नहीं किया जा रहा है और इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तदनुसार, एजेंसी बैंकों को भी इन मामलों में सरकार की प्राप्तियों से एमडीआर शुल्क की कटौती नहीं करनी चाहिए।

जिन एजेंसी बैंकों ने सरकारी प्राप्तियों के सकल राशि से एमडीआर शुल्क की कटौती करने के बाद मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया है उन्हें उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कटौती किए एमडीआर शुल्क को तुरंत संबंधित मंत्रालय / विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता है, तथा इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11117&Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार

रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2017 को अधिसूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत उपलब्धि की गणना हेतु लागू प्रणालीगत औसत की संख्या 11.78 प्रतिशत है।

पृष्ठभूमि

इससे पहले यह सूचित किया गया था कि गैर कॉर्पोरेट किसानों को समग्र प्रत्यक्ष उधार से संबंधित पिछले तीन वर्ष की उपलब्धि का प्रणालीगत औसत यथा समय तथा आगे से प्रति वर्ष के आरंभ में अधिसूचित किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11124&Mode=0)

प्रकाशन

मिन्ट स्ट्रीट मेमोज़

भारतीय रिज़र्व बैंक 11 अगस्त 2017 से अपनी वेबसाइट पर नए खंड मिन्ट स्ट्रीट मेमोज़ (एमएसएम) नामक शीर्षक के अंतर्गत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। एमएसएम शृंखला में व्यक्त विचार और मत लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि ये रिज़र्व बैंक के विचार हों। अब तक आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किये गये मिंट स्ट्रीट मेमोज़ हैं:

- नॉन-फंडिग सोर्स और इंडियन कॉरपोरेट्स (29 सितंबर 2017 को जारी किया गया), इसके लेखक डॉ. अपूर्व जावडेकर, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएएल) है, और यह लेख भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए गैर-बैंक वित्त पोषण स्रोतों का विश्लेषण बैंक करता है।
- कृषि ऋण छूट, वित्तीय घाटे और मुद्रास्फीति (11 सितंबर 2017 को जारी), इसके सह लेखक मौद्रिक नीति विभाग से प्रतीक मित्रा, जायस जॉन और आशीष थॉमस जॉर्ज एवं आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग इंद्रनील भट्टाचार्य और इंद्राणी मन्ना है, यह लेख कुछ भारतीय राज्यों के फैसले का जिन्होनें हाल ही में कृषि ऋण छूट की घोषणा की है, का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो मध्य अवधि के दौरान राज्यों के राजकोषीय बोझ पर असर डाल सकते हैं का विश्लेषण करती है। अनुभवजन्य अनुमान बताते हैं कि राजकोषीय घाटे में मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ सकता है।
- कृषि ऋण बैंक खातें- एक छूट परिदृश्य विश्लेषण (11 सितंबर 2017 को जारी किया गया) इसके सह लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग से राजेंद्र रघुमंदा, रवि शंकर और सुखबीर सिंह है, यह लेख बैंक ऋण पर खाता स्तर डेटा का उपयोग करते हुए कर्ज माफी के संभावित आकार के परिदृश्य पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (24 अगस्त 2017 को जारी किया गया) - बाजार प्रतिक्रिया- इसके सह लेखक निरूपमा कुलकर्णी, सरगम जैन और खुशबू खंडेलवाल, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएएल) से है, यह लेख बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 पर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है।
- गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों में बचत का वित्तीयीकरण (11 अगस्त 2017 को जारी), इसके सह लेखक मनोरंजन दाश, भूपाल सिंह, स्नेहल हेरवाडकर और रस्मी रंजन बेहरा है, इसमें विचार व्यक्त किया गया है कि विमुद्रीकरण का एक अहम प्रभाव पड़ा है जिससे परिवारों की बचत औपचारिक चैनलों की तरफ आकर्षित हो रही है। विमुद्रीकरण और उसके बाद की अवधि के दौरान, इक्विटी / ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा पॉलिसियों में बचत प्रवाह में एक विशेष वृद्धि हुई है। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को संग्रह और वितरण में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगे, चुनौती, इन फंडों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के उपयोग में ले जाना होगा ।
- विमुद्रीकरण और बैंक जमा वृद्धि (11 अगस्त 2017 को जारी), इसके सह लेखक भूपाल सिंह और इंद्रजीत रॉय का अनुमान है कि विमुद्रीकरण के बाद 'अतिरिक्त' बैंक जमा वृद्धि (वाई-ओ-वाई) का प्रदर्शन 3.0-4.7 प्रतिशत अंक है। सामान्य अवधि में, विमुद्रीकरण के कारण इन अनुमानों से अधिक जमा राशि अर्थात् ₹ 2.8-4.3 ट्रिलियन के रेंज में बैंकिंग सिस्टम जमा हुई थी। विशिष्ट प्रकार के खातों में नकदी जमा में असामान्य वृद्धि का एक सूक्ष्म-स्तर का विश्लेषण, जो आम तौर पर गतिविधि के निम्न स्तर से चिह्नित होते हैं, इस निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। इस तरह के लाभ बैंक जमाओं की ओर बदलाव के मामले में, यदि टिकाऊ हो, तो बचत की वित्तीय स्थिति के रूप में लाभकारी प्रभाव छोड़ सकता है।.

(https://www.rbi.org.in/scripts/MSM_MintStreetMemos.aspx))

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2016-17

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 सिंतबर 2017 को ''भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक (एचबीएस), 2016-17'' शीर्षक से अपने वार्षिक प्रकाशन का उन्नीसवां खंड जारी किया। इस प्रकाशन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतक उपलब्ध कराकर आंकड़ों के प्रसार में सुधार करना है।

वर्तमान खंड में 248 सांख्यिकीय सारणियां हैं जिनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े, आउटपुट, मूल्य, मुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय बाजार, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन तथा चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को कवर किया गया है।

इस हैंडबुक के इलेक्ट्रॉनिक रूप को भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) : रिज़र्व बैंक का आंकड़ा वेयरहाउस (URL https://dbie.rbi.org.in) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। डीबीआईई में सारणियों को लगभग तत्काल आधार पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

एचबीएस पर टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत है और इन्हें कृपया निदेशक, आंकड़ा प्रबंध और प्रसार प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-9, तीसरी मंजिल, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को फैक्स नंबर 91-22-26571371 या ई-मेल के माध्यम से भेजा जाए।

इस प्रकाशन की खरीद के लिए आदेश मुख्य महाप्रबंधक, बिक्री और वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, भू-तल, पी. एम. रोड़, मुंबई-400 001 को भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में केवल मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से भुगतान करने पर दिया जा सकता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41680)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।